

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
संख्या 02/2023- संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2023

सा.का.नि. (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ज) में, "और राज्यों के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर शब्दों " , राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2023 से लागू होगी होगी।

[फाइल संख्या - सीबीआईसी -190354/21/2023- टीओ (टीआरयू -II) सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2022-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, सा.का.नि. 549 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।